

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

26.11.2024

वाद सं०— एम०— 53 / 2024—25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भा०ना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, कुरुमगढ़ थाना) —बनाम— तेजन सिंह वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 97 / 2024 एवं कुरुमगढ़ थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 20 / 2024 दिनांक— 28.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. तेजन सिंह, पिता— अलखु सिंह, पता— ऊरू 2. नेहरू मुण्डा, पिता— स्व० फागु मुण्डा, पता— मारवा 3. अर्जून साय, पिता— मंजिल साय, पता— सिबिल 4. प्रवीण उरांव, पिता— स्व० एडवर्ड उरांव, पता— सिबिल 5. हेरमन लकड़ा, पिता— फुलजेस लकड़ा, पता— रोरेद 6. संदिप यादव, पिता— बालकिशुन यादव, सा०— कमलटोली 7. सहदेव मुण्डा, पिता— सोमा मुण्डा, पता— पीपी बामदा 8. सोमरा उरांव, पिता— स्व० सोमा उरांव, पता— बामदा 9. बंधन उरांव उर्फ बंधना उरांव, पिता— रतिया उरांव, पता— केरागानी सभी थाना— कुरुमगढ़, जिला— गुमला को विधान सभा निर्वाचन, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आदर्श आचार संहिता का भी समापन हो गया है। थाना प्रभारी, कुरुमगढ़ से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।